21वीं वार्षिक बैठक के लिए नोटिस
Notice for 21st Annual General Meeting

शुक्रवार, 30 जून, 2017, सुबह 10.15 बजे, वडोदरा
Friday, 30th June, 2017 at 10.15 a.m. at Vadodara

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

निवेशक सेवा विभागः
बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सातवीं मंजिल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPTT:
Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

विषय
CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

नोटिस

NOTICE 03

टिप्पणियां

NOTES 07

प्रॉक्सी फार्म

FORM OF PROXY.......... 17

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा 390 006
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
(**वेबसाईट:** www.bankofbaroda.co.in)

नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक **शुक्रवार 30 जून, 2017 को प्रात: 10.15 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी. -1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वड़ोदरा-390020** में संपन्न होगी:

सामान्य कार्यवाही :

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2017 के तुलनपत्र, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे, लेखों में समाहित अवधि के कार्य निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना.

मद संख्या 2:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश घोषित करना.

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 3:

निम्नलिखित संकल्प पर एक **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना एवं उचित पाएं जाने पर परिवर्तन के साथ या परिवर्तन के बिना उसे पारित करना.

"संकल्प पारित किया जाता है कि सांविधिक/विनियामक अनुमोदन के अध्यधीन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
(Website: www.bankofbaroda.co.in)

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Friday 30th June 2017, at 10.15 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020,** to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2017, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To declare dividend for the Financial Year 2016-17.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 3:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a "**Special Resolution**."

"**RESOLVED THAT** subject to Statutory/Regulatory approvals as per applicable laws/regulations, authority be and is hereby given pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (the Scheme) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any

के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन), सेबी (सूचीकरण प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण) विनियमन, 2000 यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, **बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक मंडल** (इसके पश्चात इसे 'बोर्ड' कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को भारत में या भारत के बाहर दस्तावेज द्वारा या प्रोस्पेक्टस द्वारा या ऐसे किसी दस्तावेज द्वारा भारत में या विदेश में **रु. 6000 करोड़ (रु.छह हजार करोड़)** की अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने के लिए अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी),फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/अधिमान निर्गम/अधिकार निर्गम/एडीआर-जीडीआर/इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण से बाजार मूल्य के प्रीमियम/रियायत जो वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है और इस प्रकार जारी किए जाएं कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाज़ार भाव के प्रति प्रीमियम पर सृजित, ऑफर, जारी और आबंटित (उस समय लागू विधि द्वारा अनुमति प्राप्त वैसे श्रेणी के व्यक्तियों और इश्यू के वैसे भाग को प्रतिस्पर्धी आधार पर और किसी फर्म को आबंटन के आरक्षण के प्रावधान सहित) करने हेतु एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन निर्गम के या किसी अन्य तरीके से जो उपयुक्त कानूनों द्वारा प्रदत्त हो, के जरिए किया जाएगा। अति-आबंटन विकल्प और ऐसे किसी ऑफर के साथ या उसके बिना प्रतिभूतियों का निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन जरूरतें), अधिनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियमन) के प्रावधानों के अनुरूप किया जाए और सेबी, आर बी आई तथा

other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India), Regulation, 2000 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of **the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) /prospectus or such other document (s), in India or abroad to raise additional capital **up to Rs 6000/- Cr. (Ruppes Six Thousand Crore)** through equity capital by way of various modes such as Qualified Institutions Placement (QIP)/ Follow on Public Offer (FPO) /Preferential Issue/Rights Issue/ /ADR-GDR/Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures and any other mode or combination of these at such premium/discount to the market price which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank of Rs.3000 crore, being the ceiling of the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the total paid-up Equity capital of the Bank.

"**RESOLVED FURTHER THAT**, such issue, offer or allotment of Securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), public issue, preferential issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other

ऐसे अन्य प्राधिकारी जैसा भी उपयुक्त समझा जाए और ऐसे समय या समयों में इस तरह से और ऐसे नियम व शर्तों पर जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझें."

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर उन स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, सूचीबद्ध किए जाएंगे."

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** उपर्युक्त निर्गम/निर्गमों के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो आईसीडीआर अधिनियमों में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए कीमतों से कम न हों, इस तरह से और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श से और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आईसीडीआर अधिनियमों, अन्य अधिनियमों और किसी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों और/या, चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक में वर्तमान शेयरधारक हैं या नहीं."

आगे यह संकल्प प्रारित किया गया कि आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VIII के मुताबिक अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में-

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर अधिनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत आने वाले अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूरी तरीके से भुगतान होगा और ऐसे प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिन से 12 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा या ऐसे किसी समय में जिसकी आईसीडीआर अधिनियमों में समय-समय पर अनुमति दी गई है.

बी) बैंक आईसीडीआर अधिनियमों के अधिनियम 85(1) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा जिसमें न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5 प्रतिशत के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की संबंधित तारीख आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी.

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए.''

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** यदि उपरोक्त प्रतिभूतियां एनआरआई, एफआईआई और या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को जारी और

authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT,** the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a qualified institutions placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible

आबंटित की जा रही हैं तो वह विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी, जो भी लागू हो परंतु अधिनियम और अन्य विनियामकों के तहत स्थापित उपर्युक्त समग्र सीमाओं के भीतर हो, जैसा भी लागू है, के अधीन होगी.''

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** जारी किए जाने वाले नए उक्त इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर व बैठक) अधिनियम, 1998 यथा संशोधित के अधीन होंगे और मौजूदा इक्विटी शेयर के साथ समरुप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों.''

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो, और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक(प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदारों, जमाकर्ताओं, कानूनी सलाहकारों और ऐसे सभी एजेंसियों, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों को ऑफर करने और ऐसे सभी संस्थाओं तथा एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या ऐसे किसी अन्य तरीके से लाभ प्रदान करने, और इन एजेंसियों के साथ ऐसे सभी प्रबंधों, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को बनाने व उनको निष्पादित करने से संबद्ध हो या उसमें शामिल हो के साथ ऐसी व्यवस्था करे व उसे निष्पादित करे.''

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को, अग्रणी प्रबंधकों, अंडरराइटरों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निर्गम(मों), जिसमें ग्राहकों की वो श्रेणी भी शामिल हैं जिनके लिए प्रतिभूतियों का आबंटन किया गया, प्रत्येक अंश में उनकी आबंटित संख्या, निर्गम कीमत (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूति के जारी/संपरिवर्तन, वारंट/शोधन के प्रयोग पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या संपरिवर्तन करने पर अन्य प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के शोधन या रद्द करना, कीमत, प्रतिभूतियों को निर्गम/संपरिवर्तन करने पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि का नियतन या बही बंदी तथा संबंधित या सहायक मामले, भारत तथा/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता का निर्धारण कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे.''

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** उपर्युक्त शेयरों का, जो कि अभिदत्त नहीं हैं, बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार से उस प्रकार से निपटान किया जा सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे तथा जैसा विधि द्वारा स्वीकार्य हो.''

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे

foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations,1998 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies)), Legal Advisor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable

जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रुप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रुप से उसको अपना अनुमोदन दे दिया है."

''**आगे यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए निदेशकों की वित्त समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित करें.''

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा,

पापिया सेनगुप्ता
कार्यपालक निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 मई 2017

and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to Finance Committee of the Directors/Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By Order of the Board of Directors
FOR BANK OF BARODA

Papia Sengupta
Executive Director

Place: Mumbai
Date: 27th May 2017

नोट :

1. **व्याख्यात्मक विवरण** : बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ मद संख्या 3 में संलग्न है.

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति** : बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा/ सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह इस सूचना के साथ संलग्न अथवा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध फार्म "बी" में भरा नहीं गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् **25 जून, 2017** को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, बड़ौदा- 390 005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT** : The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting at item no. 3 is annexed hereto.

2. **Appointment of Proxy:** A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to this Notice and also available on Bank's website. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **25th June 2017** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a

नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, उक्त मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.

3. **प्रतिनिधि की नियुक्ति :** कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से चार दिन पूर्व अर्थात **25 जून, 2017** को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

4. **मताधिकार :** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

5. **उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक (उपस्थिति पर्ची) :**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक संलग्न है. शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है. जो ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण को जांच लें और यदि कोइ्र खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. "प्रॉक्सी" /शेयरधारक के "अधिकृत प्रतिनिधि", उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में है, जो भी लागू हो. मतपत्रक पास/एंट्री पास को चुनाव के समय मतपत्रक प्राप्त करने के लिए सुपुर्द करना होगा.

true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. **Appointment of Representative:** No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **25th June 2017**.

4. **Voting Rights:** In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the meeting, if voting right is not exercised through remote e-voting.

5. **Attendance Slip-Cum Entry Pass Cum Voting Paper Pass (The Attendance Slip):** For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Voting Paper Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपने मत का प्रयोग कर लिया है, बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुन: नहीं दे सकेंगे.

6. **दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक समान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना** : बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008, के विनियम 12, के साथ पठित (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण की आवश्यकता) सेबी विनियमन, 2015 की विनियम संख्या 42 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शनिवार 24 जून, 2017 से 30 जून, 2017 तक (दोनों दिन सहित)** 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा. तदनुसार शेयरधारक जिनके पास **शुक्रवार, 23 जून, 2017** तक बैंक के शेयर हैं, दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक की कार्यसूची पर मत देने और लाभांश, यदि कोई है उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होंगे.

7. **लाभांश का भुगतान** :निदेशक मंडल ने दिनांक **18 मई, 2017** को आयोजित बैठक में 31 **मार्च, 2017** को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 2/- प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर हेतु ₹ 1.20 (रुपए एक एवं पैसे बीस केवल) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है. निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित एवं 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक में यदी अनुमोदित होता हैं, लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

ए) नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और द सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुरूप **23 जून, 2017** अर्थात रिकॉर्ड तारीख को व्यवसाय की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारण करने के संबंध में सभी लाभार्थी धारक.

बी) **23 जून, 2017** अर्थात रिकॉर्ड तारीख को व्यवसाय की समाप्ति तक बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (आरटीए) के पास अंतरण अनुरोध दर्ज करने के संबंध में वैध अंतरण को प्रभावी करने के बाद भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सभी सदस्य.

सी) 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा.

8. **दूरस्थ ई-वोटिंग** : सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

Voting Paper Pass/ Entry Passes shall be surrendered to participate for Voting at the time of Poll.

Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

6. **Cut-Off Date For remote e-voting and voting at the AGM and Dividend Payment - Closure of Register of Shareholders:** Pursuant to Regulation No. 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended read with Regulations No. 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and Rule No. 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 24th June 2017 to 30th June 2017 (both days inclusive**) for the purpose of 21st Annual General Meeting and dividend payment for FY 2016-17. Accordingly, shareholders holding Bank's Shares as on **Friday, 23rd June 2017** will be entitled to attend and vote for the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the meeting and to receive the dividend, if any.

7. **Payment of Dividend :** The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 18th May 2017 has recommended dividend @ Rs.1.20 (Rupee One & Paise Twenty only) per equity share (Face Value of Rs.2/- each fully paid up) for the financial year ended 31st March 2017. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 21st Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on **23rd June 2017**.

b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on **23rd June 2017**.

c) The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 21st Annual General Meeting.

8. **Remote E-Voting :** Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast

दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई- वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को दूरस्थ ई- वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है.

बी. दूरस्थ ई- वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 27 जून, 2017 को सुबह 9.00 बजे से गुरुवार 29 जून, 2017 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).

सी. **दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है.** इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात शुक्रवार 23 जून, 2017 को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

डी. दूरस्थ ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ़-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **मंगलवार, 27 जून, 2017 को सुबह 9 बजे** पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : **https://evoting.karvy.com**

ii. लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.

iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.

iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यत: अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A-Z), एक लॉअर केस (a-z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुन: प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. **यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**

v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुन: लॉग-इन करना होगा.

vi सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (23 जून, 2017) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. ASSENT अथवा DISSENT, जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं. पुष्टि करने हेतु OK पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु CANCEL पर क्लिक करें. **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.**

their votes electronically on the items mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.

b) The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Tuesday, 27th June 2017 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 29th June 2017 (both days inclusive).

c) **Remote e-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. Friday 23rd June 2017, may cast their vote electronically.

d) The instructions for remote e-voting are as under:

i. The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: **https://evoting.karvy.com** on opening of the same on **Tuesday, 27th June, 2017 at 9.00 a.m.**

ii. Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., Bank of Baroda. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date **(23rd June 2017)** will appear. You will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.

viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.

ix. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन, या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं. के किसी भी भागीदार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को दूरस्थ रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के अभिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति **scrutinizer@snaco.net** ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.

xi. ऐसे शेयरधारक, जो 21 वीं एजीएम के लिए नोटिस/संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ़-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ़-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के साथ रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें.

xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप डाउनलोड अनुभाग **https://evoting.karvy.com** में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) का अवलोकन कर सकते हैं, अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा),कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गचीबावली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक, श्री एस वी राजू, से ई-मेल **raju.sv@karvy.com** या दूरभाष संख्या 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

9. वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते वे बैठक की तारीख को वार्षिक सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे. बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे और उपस्थित अंतिम शेयरधारक द्वारा वोट देने तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी.

vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Central Government is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

ix. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : **scrutinizer@snaco.net**

xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut –Off Date for dispatch of the Notice for 21st AGM / Abridged Annual Report 2016-17 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of **https://evoting.karvy.com** or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Computershare Pvt. Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail **raju.sv@karvy.com** or phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

9. VOTING PROCESS AT THE AGM : The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Voting paper / tablet will be provided immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue till the last shareholder present, cast his vote.

इस प्रयोजन से नोटिस के साथ भेजे गए अथवा पंजीकरण के समय जारी किए गए वोटिंग पेपर पास को वापिस जमा करने के बाद शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को काउंटर पर वोटिंग पेपर/टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे. 21 वीं वार्षिक सामान्य बैठक हेतु कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में वोटों की संख्या उनके द्वारा निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **23 जून, 2017** तक धारित शेयरों की संख्या के समान होगी.

10. रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम

वार्षिक सामान्य बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा.

11. चुनाव का संवीक्षक

श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एवं इनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं. प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का कोई भी भागीदार बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक के दौरान आयोजित होने वाली वोटिंग में अन्य शेयरधारकों के साथ संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे. अध्यक्ष किसी अन्य शेयरधारक की सहमति से, जो उपस्थित है तथा मत देने के लिए पात्र हैं, के नाम की घोषणा द्वितीय संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु कर सकते हैं.

12. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश

ए. लाभांश के भुगतान के लिए बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते और संबंधित डिपॉजिटरी से बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट (आरटीए) द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा. इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए जिससे कि बही बंदी के शुरू होने से पूर्व अद्यतन स्थिति प्राप्त की जा सके. बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल सदस्यों के डिपॉजटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है.

बी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के **रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)** अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रजिस्ट्रार करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के **रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.**

Voting paper / tablet shall be provided at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Voting Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., **23rd June 2017** in respect of all the items of the Agenda for the 21st AGM.

10. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL : The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

11. SCRUTINIZERS AT POLL : M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the agenda items of the meeting. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder at the meeting for the voting to be conducted at the Meeting. The Chairman may announce the name of any other shareholder present and entitled to vote to act as second scrutinizer subject to his consent.

12. Change of Address / Dividend Mandate:

a) The Bank for payment of dividend will use the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their Bank particulars registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated the same before the commencement of the Book closure. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), i.e. Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

सी. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

13. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से भौतिक शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

14. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण करने का अनुरोध कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है या अपने नजदीकी किसी भी पंजीकृत डिपॉजिटरी सहभागी के साथ नया खाता खोल सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप अधिक सुरक्षा, त्वरित सेवाएं और इससे अधिक भारत सरकार की गो- ग्रीन पहल में सहायता होगी.

15. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (अर्थात आरटीए) के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(यूनिट- बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32,
गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032 फोन नं. 040 6716 2222, एवं टोल फ्री :1800 345 4001
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

वैकल्पिक रूप में, तो उन्हें निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:-

निवेशक सेवाएं विभाग
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवीं मंजिल,
बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर
सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. Consolidation of Folios: The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

14. Dematerialization of Physical Holdings – A SPECIAL REQUEST: All the Shareholders who are holding shares in physical mode are requested to convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account OR Open new accounts with any registered Depository Participant in their vicinity. This will result in enhanced safety, quick services and more so would support GOI initiative to Go Green.

15. Lodgments for Transfers: Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (i.e. RTA) at the following address.

Karvy Computershare Pvt. Ltd
(Unit :- BANK OF BARODA)
Karvy Selenium Tower B,
Plot No 31 & 32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally, Hyderabad – 500 032
Phone No. 040 6716 2222, and Toll Free : 1800 345 4001
E- mail : einward.ris@karvy.com

Alternatively, it can be lodged at following address:-

Investors' Services Department
Bank of Baroda, 7th Floor,
Baroda Corporate Centre,
C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.
E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

16. दावा न किए गए/ भुगतान न किए गए लाभांश, पिछले वर्ष का, यदि कोई हो

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनज़र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश “अदत्त लाभांश खाते” में अंतरित करें.

“अदत्त लाभांश खाते” में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2008-09 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2009-10 से आगे के अदत्त लाभांश के विवरण के लिए (**2009-10 के लिए दिनांक 05-08-2017 को शीघ्र ही अंतरित किया जा रहा है**) निवेशक बैंक की वेबसाइट “www.bankofbaroda.co.in” देख सकते हैं.

16. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any of previous years:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide “The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to “Unpaid Dividend Account”. The amount transferred to the said “Unpaid Dividend Accounts” and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2008-09 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2009-10 onwards **(shortly transferring for 2009-10 on 05-08-2017)**, the Shareholders may visit Bank’s website “www.bankofbaroda.co.in”, however, the detail about future due date for transfer is given below for the convenience of Shareholders:

क्र. सं. Sr. No	वित्तीय वर्ष Financial Year	लाभांश - अंतरिम / अंतिम Dividend –Interim / Final	अदत्त लाभांश खाता संख्या Unpaid Dividend Account Number	आईईपीएफ को अंतरित करने की नियत तारीख / वह तारीख जब तक दावा आरटीए या बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank
1	2009-2010	अंतिम / Final	09540013206021	5 अगस्त, 2017 **5th August, 2017**
2	2010-2011	अंतिम / Final	09540015181257	7 अगस्त, 2018 / 7th August, 2018
3	2011-2012	अंतिम / Final	09540015181299	2 अगस्त, 2019 / 2nd August, 2019
4	2012-2013	अंतिम / Final	09540015181376	29 जुलाई, 2020 / 29th July, 2020
5	2013-2014	अंतरिम / Interim	09540015181393	14 फरवरी, 2021 / 14th February, 2021
6	2013-2014	अंतिम / Final	09540015181397	25 जुलाई, 2021 / 25th July, 2021
7	2014-2015	अंतिम / Final	09540015181420	29 जुलाई, 2022 / 29th July 2022

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10 के बाद से (अभी तक आईईपीएफ को अंतरित नहीं हुआ है) और अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद से उपरोक्त पते पर (पैरा 15) तत्काल सीधे संपर्क करें :

17. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी डीपी/बैंक के साथ पंजीकृत नहीं कराई है उन्हें **मूर्त रूप**

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years i.e. from FY 2009-10 onwards (not yet transferred to IEPF) and refund orders of FPO/IPO are advised to approach the Bank’s Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid addresses (para 15) immediately.

17. Request to Members: Please note that copies of the Abridged Annual Report 2016-17 in physical form are being **dispatched separately** using the services of Indian Post to

में भारतीय डाक द्वारा अलग से भेजा जा रहा है. और जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की सॉफ्ट कापी के रूप में भेजी जा रही है. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात "www.bankofbaroda.co.in" पर भी उपलब्ध है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, अत: सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी प्रति साथ लेकर आएं.

विशेष ध्यानकर्षण हेतु अनुरोध

1. **भारत सरकार द्वारा की गई हरित पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपोजीटरी /आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतु इस नोटिस में उल्लिखित पैरा 15 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रूप में अनुरोध कर संबंधित डिपोजीटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.**
2. **अभौतिकीकरण के लाभ**

ए) शेयर प्रमाणपत्र खोने का डर नहीं रहता

बी) शेयर हस्तांतरण या स्टांप ड्यूटी के लिए कोई शुल्क नहीं

सी) आसान/बाधारहित हस्तांतरण/ संचरण

डी) नामांकन संभव

ई.) लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट किया जाता है.

एफ) एएसबीए/ आईपीओ आवेदन संभव

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3

व्यवसाय आस्तियों के विस्तार हेतु बासल – III दिशानिर्देशों के तहत न्यूनतम पूंजी एवं लीवरेज अनुपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए गए/ किए जाने के अनुसार, बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2009 और अद्यतन संशोधनों तथा इस संबंध में सेबी/भा.रि.बैं. के अन्य लागू विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन(क्यूआईपी)/ फॉलो ऑन पब्लिक निर्गम (एफपीओ)/ अधिमान निर्गम /अधिकार निर्गम/ एडीआर-जीडीआर/ इक्विटी का निजी प्लेसमेंट/ अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी विविध प्रणालियों और अन्य किसी प्रणाली या इनके मिश्रण के जरिए सामान्य इक्विटी जुटाने का प्रस्ताव करता है. क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी करने के ऐसे मामले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन 2009 के अध्याय VIII के अनुरूप होने चाहिए.

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उपयुक्त समय, प्रक्रिया, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है.

those Shareholders who have not registered their email IDs with the DP/Bank. The full Annual Report 2016-17 in soft copy is being emailed to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The full and abridged version of Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. "www.bankofbaroda.co.in" The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copy at the meeting.

SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

1. ***In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated at para no. 15 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over e-mail.***
2. ***Benefits of Dematerialization***

a) No threat of loss of share certificate

b) No share transfer fees or stamp duty

c) Easy / hassle free transfer / transmission

d) Nomination possible

e) Dividend directly credited to your Bank A/c

f) ASBA / IPO application possible

EXPLANATORY STATEMENT

Item Number 3

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP)/Follow on Public Offer (FPO)/ Preferential Issue/Rights Issue/ADR-GDR/Private Placement/ Compulsorily Convertible Debentures and any other mode or combination of these in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VIII of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

विशेष संकल्प के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे. आपके निदेशकगण, सूचना में उल्लिखित विशेष संकल्पों की सिफारिश करते हैं.

किसी भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा यदि कोई हो, को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प हेतु हितबद्ध या सम्बद्ध नहीं समझा जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा,

पापिया सेनगुप्ता

कार्यपालक निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27 मई 2017

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

FOR BANK OF BARODA

Papia Sengupta

Executive Director

Place: Mumbai

Date: 27th May 2017

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा 390 006

फार्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर		डीपी आईडी नं	
		ग्राहक आईडी नं	
(यदि शेयर अभौतिक रूप में न हो)		(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)	
शेयरों की संख्या			

मैं/हम ______________________________ निवासी ______________________________
______________ जिला ______________ राज्य ______________________________
बैंक ऑफ़ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती. ______________________________ निवासी
______________________ जिला ______________ राज्य ______________________
को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती ______________ निवासी ______________ जिला ______________राज्य
______________ को **शुक्रवार, 30 जून, 2017 को सुबह 10.15 बजे** सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा – 390 020 में या इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली **वार्षिक सामान्य बैठक** में मेरी /हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक ______________ माह ______________ 2017 को हस्ताक्षरित

रसीदी
टिकट
यहाँ
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ______________________

प्रथम नाम /एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम ______________________________

पता ______________________________

____

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी का लिखत निम्नानुसार होने पर वैध माना जाएगा -
   ए. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
   बी. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
   सी. निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.

   प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है, तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
2. विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तथा पूर्व में बैंक के पास जमा की गयी हो एवं बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांस्फर एजेन्ट से पंजीकृत हो, प्रधान कार्यालय में केवायसी एवं एएमएल विभाग, बैंक ऑफ़ बडौदा,आठवां तल, सूरज प्लाजा – I , सयाजीगंज, वड़ोदरा-390 005 के पास वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात 25 जून 2017 को सायं 5.00 बजे से पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा. यदी पहले से पंजीकृत हों, तो पंजीयन संख्या एवं तारीख का उल्लेख करें.
3. प्रॉक्सी का लिखत फार्म “बी” में होने पर ही वैध माना जाएगा.
4. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.
5. विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में,एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
6. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
7. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
8. प्रॉक्सी धारक प्रत्येक संकल्प के ‘पक्ष’ अथवा ‘विपक्ष’ में वोट कर सकते हैं.
9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006.

FORM "B"

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We ______________________ resident/s of ______________________ in the district of ______________________ in the State of ______________________ being a shareholder / shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt ______________________ resident of ______________________ in the district of ______________________ in the State of ______________________ or failing him / her, Shri / Smt ______________________ resident of ______________________ in the district of ______________________ in the State of ______________________ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Annual General Meeting** of the Shareholders of the **Bank of Baroda** to be held on **Friday, 30th June 2017 at 10.15 a.m.** at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020, and at any adjournment thereof.

Signed this ____________ day of ____________ 2017

Please affix Revenue Stamp

Signature of Proxy ______________________

Name ______________________

Address ______________________

____

Signature of first named / Sole shareholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

   Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara- 390 005, not less than **FOUR DAYS** before the date fixed for the Annual General Meeting, i.e. on or before 5.00 p.m. on 25th June 2017 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the Registration No. and Date be provided.
3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
6. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the each resolution.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank